<u>कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0</u>

संख्या–एमई–3 / 2023 / 813 लखनऊ:दिनांक: 10-04-2023

<u>विज्ञप्ति</u>

निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों मे संचालित स्नातक / स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 / एम0डी0 / एम0एस0 / डिप्लोमा / एम0डी0एस0) के शुल्क निर्धारण हेतु फीस नियमन समिति के सहयोगार्थ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नामित किया जाना है। नामित चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा शुल्क निर्धारण के प्रस्ताव तैयार कर शासन / महानिदेशालय स्तर पर आहूत बैठको मे प्रतिभाग करना तथा मा0 न्यायालयो मे फीस निर्धारण के संबंध मे दायर वादो की स्थिति स्पष्ट / अनुश्रवण किया जायेगा। नामित चार्टेड एकाउन्टेन्ट का कार्यालय लखनऊ मे हो एवं क्रियाशील होना अनिवार्य है। ऐसे इच्छुक सी0ए0जी0 इमपैनल्ड चार्टेड एकाउन्टेन्ट अपना बायोडाटा / प्रस्ताव / कोटेशन सुसंगत अभिलेखो सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय मे **दिनांक 17.4.2023 को अपरान्ह 2.00** तक प्रस्तुत कर सकते है।

(किंजल सिंह)
महानिदेशक।